कार्यालय उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला, (उत्तरकाशी)

Email- dfo_tons@yahoo.co.in ☎/Fax- 01373-223328

पत्रांक 647 /12-1(1) दिनांक, पुरोला, उत्तरकाशी 28/09 –2016

सेवामें,

अधिशासी अभियंता,
सिंचाई विभाग, पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के कुनारा पासा नहर निर्माण हेतु वांछित 0.69 है0 वन भूमि का वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 727/12–1(1) दिनांक 22 सितम्बर 2016 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। अतः आप संलग्न क्वैरी के अनुसार आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

ON LINE DISPATCH

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 727 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,सितम्बर, 22 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौंस वन प्रभाग,पुरोला।

विषयः जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के कुनारा पासा नहर निर्माण हेतु वांछित 0.69 है0 वन भूमि का वन सरंक्षक अधिनियम 1980 के तहत हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **FP/UK/ IRRIG/ 7292 / 2014**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध उत्तराखण्ड शासन स्तर से की गई क्वैरी जो कि इस कार्यालय को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से दिनांक 20–09–2016 को ऑन लाइन प्राप्त हुयी है, संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आप संलग्न क्वैरी के अनुसार निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

22/9
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड
देहरादून

भवदीय,

(जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

Droduced by- Yashpal singh File Name- EDS Query

संख्याः 887 /X-4-16/1(278)/2016

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर, 2016

विषयः–जनपद–उत्तरकाशी के अंतर्गत कुनारा–पासा नहर के निर्माण हेतु 0.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–277 / 1जी–FP/UK/IRRIG/7292/2014, दिनांक 23.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख / सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी / निरीक्षण रिपोर्ट, अन्य डाक्यूमेंट आदि उपलब्ध कराये।
2. प्रस्ताव संबंधित समस्त ऑन–लाईन प्रपत्रों / प्रमाण पत्रों एव एफ0आर0ए0 की प्रति।
3. चिन्हित परियोजना से आच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ निर्धारित प्रारूप पर संपादित अनुबंध पत्र अपलोड / उपलब्ध नही कराया गया है।
4. क्या भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रकरण में सक्षम अधिकारी / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की आख्या अपेक्षित नही है ? स्थिति स्पष्ट करें;
5. प्रयोक्ता विभाग से परियोजना से लाभान्वित होने वाली आबादी की सूचना, तथा प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय वस्तुस्थिति विवरण।
6. उक्त परियोजना से पूर्व पेयजल हेतु क्या व्यवस्था थी। विवरण उपलब्ध कराए।
7. क्या प्रयोजन हेतु अन्य भूमि उपलब्ध नही है। जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र।
8. परियोजना अंतर्गत मलवा निस्तारण योजना की स्थिति।

भवदीय,
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्याः 887 (1) / X-4–16 / 1(278) / 2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,
Akhilesh
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्या: 887 /X-4-16/1(278)/2016

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर, 2016

विषयः–जनपद–उत्तरकाशी के अंतर्गत कुनारा–पासा नहर के निर्माण हेतु 0.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–277/1जी–FP/UK/IRRIG/7292/2014, दिनांक 23.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी/निरीक्षण रिपोर्ट, अन्य डाक्यूमेंट आदि उपलब्ध कराये।
2. प्रस्ताव संबंधित समस्त ऑन–लाईन प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों एव एफ0आर0ए0 की प्रति।
3. चिन्हित परियोजना से आच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ निर्धारित प्रारूप पर संपादित अनुबंध पत्र अपलोड/उपलब्ध नही कराया गया है।
4. क्या भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रकरण में सक्षम अधिकारी/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की आख्या अपेक्षित नही है ? स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रयोक्ता विभाग से परियोजना से लाभान्वित होने वाली आबादी की सूचना, तथा प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय वस्तुस्थिति विवरण।
6. उक्त परियोजना से पूर्व पेयजल हेतु क्या व्यवस्था थी। विवरण उपलब्ध कराए।
7. क्या प्रयोजन हेतु अन्य भूमि उपलब्ध नही है। जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र।
8. परियोजना अंतर्गत मलवा निस्तारण योजना की स्थिति।

भवदीय,

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्या: 887 (1)/X-4-16/1(278)/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

Recd.
[illegible]
12.9.2016